



अच्छे. 1 स 0
आवाज लगायी। अनुपस्थित ही मत इसके
विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है
अच्छे. 10 का जवाब अक्सर बन्द
रिखा जाता है फावली वास्ते बहस का
पत्र दि. 15/5/25 को पेश हो


03/4/25

15/5/25 फावली पेश हुई। अग्रपक्ष उपस्थित।
बहस का पत्र सुनी गयी। फावली वास्ते
आदेश साप्पत्र धारा-212 R.T. Act दिनांक
09/05/25 को पेश हो


15/5/25

28/5/25 फावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। बहस
साप्पत्र के परिपेक्ष्य में फावली का अवलोकन किया
गया। ग्राम घोडाखेडी तहसील सुनेल की वाडग्रन्थ अग्रणी
खण्ड नं० 48 शकवा 3-5 वीदा की प्रभावंडी संवत् 2017-18 के
अवलोकन से स्पष्ट है कि यह पुरीतान पुत्र हरिया नर
व अन्व की सख्वातेदारी में हर्ष रिकार्ड भी प्रिसी पुरीतान
का हिस्सा है हर्ष रिकार्ड धा। प्रार्थीगण द्वारा पेश शक्य
क्रिय पत्र दिनांक 29/10/2025 को स्पष्ट है कि सख्वातेदारी
पुरीतान पुत्र हरिया नर न अपने हिस्से (1/5) का बँचान
अमली पति गोपाल नर की कर बहस साप्पत्र धा।
मतः वाडग्रन्थ अग्रणी की हिस्से 1/5 पर वास्तविकता

कमली पत्ता जामना थी। कमलीदाई के पक्ष में न्यायनिरण संरक्षित होने से पूर्व ही दिनांक 20/12/2015 को नया इतकात लेना अपेक्षा की जाएगी होता है। कमलीदाई के पक्ष होने से उनके पक्ष में mutation तस्दीक नहीं होने एवं राणाव शिवा से पूरीतल का नाम दर्ज रहने से पूरीतल का पत्ती नमाम सं० 657 दिनांक 26/12/2021 को गरिमान - प्राचीगण न कापने पक्ष में प्रथम हस्ताविति लिख रूप से तस्दीक कराया है। प्रकरण में शिविका का संलग्न भी प्राचीगण के पक्ष में है। प्राचीगण द्वारा अपेक्षित रखन किया है कि प्राचीगण समावृत्ति में नाम दर्ज होने मात्र का अनुचित लाभ उठाकर प्राचीगण की कां कमलीदाई के समुदाय विलेस का वैचान, डान, देन कांड अंतरण पर भूमि को खुर्द बुर्द रखे एवं प्राचीगण के Khatedari rights का हकन पर अपुरणीय स्तर करमे पर आगडा है।

उपरोक्त विवेचन व निश्चयन के आधा पर प्राचीगण का प्रापत्र पंडितर Act मौखिक रूप से स्वीकार किया जाता है। प्राचीगण का नाम समावृत्ति रख आशय कि अस्वादि निषेधात से पावंड किया जाता है कि के नाम पीसावृत्ति का वास्तवतः कारणी ख० न० 48 ख० 0-9485 हक के विलेस 1/2 का कही भी रखन, वैचान, डान कांड अंतरण नहीं करे। प्राचीगण के कल्पकक्ष में रखन नहीं देवे। प्राचीगण का 10 ऐले किली अंतरण का पंजीगन नहीं करे। शेष 1/2 विलेस पर कोई खजान नहीं होना। प्राचीगण के सलजुमार लेकर नमबर से काम होकर मूल कांड के लक्ष संलग्न ही।



[Signature]
 08/1/25
 उपखण्ड अधिकारी
 पिथामा, जिला अन्तनागर (सज०१)